



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O):

पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/ 348

दिनांक 09/06/2022

आदेश

कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न प्रकरणों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

क्र.सं.	विवरण	पूर्व निर्धारित दिनांक	परिवर्तित नवीन दिनांक
1	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	30 जून 2021	31 अगस्त 2021
2	पूर्व संचालित महाविद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय तथा स्नातकोत्तर कमोन्नयन/स्नातकोत्तर नवीन विषय/सहशिक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	30 जुलाई 2021	30 सित्त 2021
3	सत्र 2021-22 हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवद्धि जारी करने की अन्तिम तिथि		
4	सत्र 2021-22 से पूर्व संचालित विषय /संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 2021	29 अक्टूबर 2021

hah

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे कमीपूर्ति दस्तावेज नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रकरण के अविलम्ब निस्तारण हेतु हार्ड कापी निदेशालय को प्रस्तुत करें।
7. रक्षित पत्रावली

hah

संयुक्त निदेशक(नि.सं.)